भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 964 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति

† 964. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) 2.0 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों शिपयार्ड पात्र हैं और यदि हाँ, तो एसबीएफएपी 2.0 के अंतर्गत आने वाले जहाजों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछली नीति के अंतर्गत निर्मित पोतों की संख्या और प्रकार तथा प्रत्येक शिपयार्ड को कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या पूर्ववर्ती योजना से लाभान्वित होने वाले शिपयार्डों को कोई निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती योजना के सीमित उपयोग के कारणों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संशोधित नीति में भारतीय शिपयार्डों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तकनीकी उन्नयन, स्वचालन और सामग्रियों की घरेलू सोर्सिंग को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) एसबीएफएपी 2.0 के लिए कैबिनेट अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्रियान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(छ) वंचित तटीय क्षेत्रों में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क, ङ और च): यह योजना अभी अनुमोदित की जानी है।

(ख, ग, घ और छ): 177 जलयानों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 499.61 करोड़ रु. की पोत निर्माण वित्तीय सहायता संवितरित की गई है। एसबीएफ़एपी के तहत वित्तपोषित किए गए जलयानों की शिपयार्ड - वार संख्या नीचे दी गई है:

शिपयार्ड के नाम	एसबीएफएपी के तहत वित्त पोषित पोतों की संख्या
एएच वाडिया बोट बिल्डर्स	1
एसी रॉय एंड कंपनी	4
एसी रॉय शिपबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	23
अत्रेया शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	4
चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	14
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	22
डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	1
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	4
मंडोवी ड्राय डॉक्स	42
प्राका इंजीनियरिंग शिपयार्ड	2
सैन मरीन	1
सेम्बमरीन काकीनाडा लिमिटेड	2
शोफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	26
सनरिच शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1
सिनर्जी शिपबिल्डर्स	3
टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड	2
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5
विक्टोरिया शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग एलएलपी	1
विजय मरीन सर्विसेज	15
वाटरवेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	1
जुआरी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	2

भारतीय शिपयार्डों द्वारा जलयान जैसे टग, सामान्य कार्गो जलयान, बल्क कैरियर, तेल टैंकर, क्रेन पोंटून, भारी डेक कार्गो जलयान, रो-रो पैक्स जलयान, क्रू बोट, डेक लोडिंग क्राफ्ट, तटीय अनुसंधान जलयान, मोड्यूलर पोंटून, यात्री कैटामेरान, यात्री सह मोटर साइकिल फेरी, यात्री फेरी, लेडिंग क्राफ्ट, स्वचालित

ऑटो बार्ज, जैक-अप बार्ज और सेल्फ एलीवेटिंग प्लेटफॉर्म की आपूर्ति की गई तत्पश्चात् एसबीएफएपी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। सभी शिपियार्ड तटीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों के पास स्थित है।

142 निर्यात जलयानों को एसबीएफएपी के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिसमें से 19 पोत शिपयार्डों द्वारा सौंपे जा चुके है और तत्पश्चात् वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इन पोतों को अनेक यूरोपियन देशों जैसे यूएई, गुयाना, मॉरिशियस और अन्य को निर्यात किया गया है।

एसबीएफएपी ने इसके कार्यान्वयन में निम्नलिखित अवरोधों का सामना किया है:-

- पोत निर्माण एक लंबे जेस्टेशन अवधि वाला उद्योग है और प्रत्येक पोत के निर्माण में समय लगता है।
- कोविड महामारी ने भी पोत निर्माण उद्योग को प्रभावित किया है।
- जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि वर्ष 2018-19 के 29 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में क्रमश: 90 करोड़ रु. और 137 करोड़ रु. हो गई है।

*****